



# कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

email- jodhpur@yahoo.com वेब-सईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2613086/2613035-7 Fax 0291-2613086

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2023/ 3850

दिनांक:- 28/02/2023

## —:कार्यवाही विवरण:—

**विषय:-** भवन मानचित्र समिति जोन-1 (ले-आउट प्लान) की 01/2023 की बैठक दिनांक 27.02.2023 को आयुक्त महोदय, जोधपुरा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-“1” पर है।

### एजेण्डा संख्या 01 :-

| बैठक दिनांक     | जोन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा          | प्रयोजन                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------|-----------------------------------------|
| 27.02.2023      | जोन-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | डोलिया       | 119/2       | 04.07.10 बीघा | नॉन पाल्यूटेड हैण्डिक्राफ्ट इण्डस्ट्रीज |
| <b>आवेदक</b>    | श्री देमाराम पुत्र श्री रघुनाथराम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |               |                                         |
| <b>विषय:-</b>   | राजस्व ग्राम डोलिया के खसरा संख्या 119/2 रकबा 04.07.10 बीघा में नॉन पाल्यूटेड हैण्डिक्राफ्ट इण्डस्ट्रीज एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन वायत्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |             |               |                                         |
| <b>निर्णय:-</b> | <p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूमि को समर्पित रास्ते से पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है उक्त रास्ते की चौड़ाई राजस्व रिकार्ड अनुसार 60 फीट की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।</li> <li>2. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग दक्षिण दिशा में कटाण रास्ते से लिंक हो रहा है उक्त रास्ते को 24 मीटर निर्धारित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावे। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।</li> <li>3. प्रार्थी द्वारा मिश्रित भू-उपयोग में नॉनपॉल्यूटिंग हैण्डिक्राफ्ट इण्डस्ट्रीज प्रयोजनार्थ आवेदन किया गया है। अतः आस-पास भविष्य में होने वाले विकास के दृष्टिगत सुरक्षा हेतु प्रार्थी की भूमि में न्यूनतम 9 मीटर का सुरक्षा बफर सैटबैक के रूप में रखा जाना सुनिश्चित किया जावे।</li> <li>4. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के बिन्दु संख्या 03 के कम में नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल की जा कर ले-आउट प्लान जारी किया जावे।</li> <li>5. आवेदित भूमि का पट्टा जारी करने से पूर्व आवेदित प्रयोजनार्थ औद्योगिक इकाई का संबंधित विभाग से रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर, पट्टे पर नॉन-पॉल्यूटेड हैण्डिक्राफ्ट इण्डस्ट्रीज प्रयोजन का उल्लेख किया जाना जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावे।</li> <li>6. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।</li> <li>7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</li> <li>8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</li> </ol> |              |             |               |                                         |

*(Signature)*

**एजेण्डा संख्या 02 :-**

| बैठक दिनांक | जोन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा          | प्रयोजन                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------|-----------------------------------------|
| 27.02.2023  | जोन-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | डोलिया       | 119/1       | 01.01.12 बीघा | नॉन पाल्यूटेड हैण्डिक्राफ्ट इण्डस्ट्रीज |
| आवेदक       | श्री देमाराम पुत्र श्री रघुनाथराम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |             |               |                                         |
| विषय:-      | राजस्व ग्राम डोलिया के खसरा संख्या 119/1 रकबा 01.01.12 बीघा में नॉन पाल्यूटेड हैण्डिक्राफ्ट इण्डस्ट्रीज एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन वाबत्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |             |               |                                         |
| निर्णय:-    | <p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूमि को समर्पित रास्ते से पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है उक्त रास्ते की चौड़ाई राजस्व रिकार्ड अनुसार 60 फीट की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।</li> <li>2. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग दक्षिण दिशा में कटाण रास्ते से लिंक हो रहा है उक्त रास्ते को 24 मीटर निर्धारित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावे। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।</li> <li>3. प्रार्थी द्वारा मिश्रित भू-उपयोग में नॉनपॉल्यूटिंग हैण्डिक्राफ्ट इण्डस्ट्रीज प्रयोजनार्थ आवेदन किया गया है। अतः आस-पास भविष्य में होने वाले विकास के दृष्टिगत सुरक्षा हेतु प्रार्थी की भूमि में न्यूनतम 9 मीटर का सुरक्षा बफर सैटबैक के रूप में रखा जाना सुनिश्चित किया जावे।</li> <li>4. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के बिन्दु संख्या 03 के कम में नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल की जा कर ले-आउट प्लान जारी किया जावे।</li> <li>5. आवेदित भूमि का पट्टा जारी करने से पूर्व आवेदित प्रयोजनार्थ ओद्योगिक इकाई का संबंधित विभाग से रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर, पट्टे पर नोन-पोल्यूटेड हैण्डिक्राफ्ट इण्डस्ट्रीज प्रयोजन का उल्लेख किया जाना जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावे।</li> <li>6. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।</li> <li>7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</li> <li>8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</li> </ol> |              |             |               |                                         |

**एजेण्डा संख्या 03 :-**

| बैठक दिनांक | जोन                                                                                                                                                             | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा          | प्रयोजन                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------|-----------------------------------------|
| 27.02.2023  | जोन-1                                                                                                                                                           | डोलिया       | 119         | 03.08.00 बीघा | नॉन पाल्यूटेड हैण्डिक्राफ्ट इण्डस्ट्रीज |
| आवेदक       | श्री देमाराम पुत्र श्री रघुनाथराम                                                                                                                               |              |             |               |                                         |
| विषय:-      | राजस्व ग्राम डोलिया के खसरा संख्या 119 रकबा 03.08.00 बीघा में नॉन पाल्यूटेड हैण्डिक्राफ्ट इण्डस्ट्रीज एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।                     |              |             |               |                                         |
| निर्णय:-    | समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- |              |             |               |                                         |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | आवेदित भूमि को समर्पित रास्ते से पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है उक्त रास्ते की चौड़ाई राजस्व रिकार्ड अनुसार 60 फीट की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।                                                                                                                                                                                                                                |
| 2. | आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग दक्षिण दिशा में कटाण रास्ते से लिंक हो रहा है उक्त रास्ते को 24 मीटर निर्धारित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के विन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावे। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। |
| 3. | प्रार्थी द्वारा मिश्रित भू-उपयोग में नॉनपॉल्यूटिंग इण्डस्ट्रीज प्रयोजनार्थ आवेदन किया गया है। अतः आस-पास भविष्य में होने वाले विकास के दृष्टिगत सुरक्षा हेतु प्रार्थी की भूमि में न्यूनतम 9 मीटर का सुरक्षा बफर सैटबैक के रूप में रखा जाना सुनिश्चित किया जावे।                                                                                                                     |
| 4. | राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के विन्दु संख्या 03 के क्रम में नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल की जा कर ले-आउट प्लान जारी किया जावे।                                                                                                                                                                                                                            |
| 5. | आवेदित भूमि का पट्टा जारी करने से पूर्व आवेदित प्रयोजनार्थ ओद्योगिक इकाई का संबंधित विभाग से रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर, पट्टे पर नोन-पोल्यूटेड इण्डस्ट्रीज प्रयोजन का उल्लेख किया जाना जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावे।                                                                                                                                                                |
| 6. | राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है० से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।                                                                                                                                                                                                         |
| 7. | उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।                                                             |
| 8. | प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।                                                                                                                                                                                                                                            |

#### एजेण्डा संख्या 04 :-

| बैठक दिनांक | जोन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या  | रकबा              | प्रयोजन      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| 27.02.2023  | जोन-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | डोलिया       | 124 का पार्ट | 21693.78 वर्गमीटर | आवासीय योजना |
| आवेदक       | श्री कालुराम पुत्र श्री जेताराम जरिये रजिस्टर्ड आम-मुख्यार श्री दिनेश भण्डारी पुत्र स्व. श्री पारस मल भण्डारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |              |                   |              |
| विषय:-      | राजस्व ग्राम बासनी डोलिया के खसरा संख्या 124 का पार्ट रकबा 21693.78 वर्गमीटर में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |              |                   |              |
| निर्णय:-    | <p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित पूर्ति उपरान्त संशोधित मानचित्र प्राप्त कर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूमि के पश्चिम में स्थित राजस्व मार्ग को 24 मीटर निर्धारित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के विन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावे।</li> <li>2. आवेदित क्षेत्रफल अनुसार नियमानुसार प्रकिया अपनाते हुए संशोधित 90-क आदेश जोन स्तर पर जारी किया जावे।</li> <li>3. आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में स्थित योजना के अनुमोदन/कमिटमेंट बाबत टिप्पणी जोन स्तर से प्राप्त की जावे।</li> </ol> |              |              |                   |              |

#### एजेण्डा संख्या 05 :-

| बैठक दिनांक | जोन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या         | रकबा                                         | प्रयोजन          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------------------|------------------|
| 27.02.2023  | जोन-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | डोलिया       | 124 (पार्ट),<br>125 | 57486.23<br>वर्गगज<br>(48065.80<br>वर्गमीटर) | फार्म हाउस योजना |
| आवेदक       | श्री कालुराम पुत्र श्री जेताराम जरिये रजिस्टर्ड आम-मुख्यार श्री दिनेश भण्डारी पुत्र स्व. श्री पारस मल भण्डारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                     |                                              |                  |
| विषय:-      | राजस्व ग्राम डोलिया के खसरा संख्या 124 (पार्ट), 125 रकबा 57486.23 वर्गगज (48065.80 वर्गमीटर)में फार्म हाउस योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                     |                                              |                  |
| निर्णय:-    | <p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित पूर्ति उपरान्त संशोधित मानचित्र प्राप्त कर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूमि के पश्चिम एवं दक्षिण में स्थित राजस्व मार्गों को 24 मीटर निर्धारित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के विन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावें।</li> <li>2. आवेदित क्षेत्रफल अनुसार नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते संशोधित 90-क आदेश जोन स्तर पर जारी किया जावें।</li> <li>3. आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में स्थित योजना के अनुमोदन बाबत टिप्पणी जोन स्तर से प्राप्त की जावें।</li> </ol> |              |                     |                                              |                  |

**एजेण्डा संख्या 06 :-**

| बैठक दिनांक | जोन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा          | प्रयोजन      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
| 27.02.2023  | जोन-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | बनाड         | 290 / 15    | 02.10.00 बीघा | आवासीय योजना |
| आवेदक       | श्री सुरेन्द्र पारीक पुत्र श्री बुधराज पारीक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |             |               |              |
| विषय:-      | राजस्व ग्राम बनाड के खसरा संख्या 290 / 15 रकबा 02.10.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |             |               |              |
| निर्णय:-    | <p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की चौड़ाई जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 120 फीट रखे जायें हेतु सड़क मध्य से 60 फीट भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि सड़क मार्गाधिकार हेतु आरक्षित रखी जावें।</li> <li>2. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।</li> <li>3. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें।</li> <li>4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।</li> <li>5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</li> <li>6. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें।</li> </ol> |              |             |               |              |



एजेण्डा संख्या 07 :-

| बैठक दिनांक | जोन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या         | रकबा                                     | प्रयोजन           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------------------------------------|-------------------|
| 27.02.2023  | जोन-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | बनाड         | 566/3/4,<br>566/3/5 | 03.00.00 बीघा<br>में से 02.12.10<br>बीघा | व्यवसायिक (दुकान) |
| आवेदक       | श्री कुशलचन्द पुत्र श्री मोहनराम, श्री जब्बरसिंह पुत्र श्री मोहनराम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                     |                                          |                   |
| विषय:-      | राजस्व ग्राम बनाड के खसरा संख्या 566/3/4, 566/3/5 रकबा 03.00.00 बीघा में से 02.12.10 बीघा में व्यवसायिक (दुकान) प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                     |                                          |                   |
| निर्णय:-    | <p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूमि को पूर्व अनुमोदित योजना से 40 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है जिसकी सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जाएँ।</li> <li>2. आवेदित भूमि के लगती हुई जोनल डवलपमेंट प्लान की 18 मीटर सड़क गुजर रही है जिसे ले-आउट प्लान पर अंकित किया जाएँ।</li> <li>3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जाएँ।</li> <li>4. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के बिन्दु संख्या 03 के क्रम में नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल की जा कर ले-आउट प्लान जारी किया जावे।</li> <li>5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जाएँ कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जाएँ।</li> <li>6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</li> </ol> |              |                     |                                          |                   |

एजेण्डा संख्या 08 :-

| बैठक दिनांक | जोन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा                                                    | प्रयोजन      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| 27.02.2023  | जोन-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | बनाड         | 347/2       | रकबा 15.00.<br>00 बीघा,<br>आवेदित रकबा<br>07.10.00 बीघा | आवासीय योजना |
| आवेदक       | श्री भंवरलाल, श्री राणाराम, श्री मुन्नाराम, श्री तेजाराम, पि. श्री बुद्धाराम एवं श्रीमती चुकीदेवी बेवा बुद्धाराम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |             |                                                         |              |
| विषय:-      | राजस्व ग्राम बनाड के खसरा संख्या 347/2 रकबा रकबा 15.00.00 बीघा, आवेदित रकबा 07.10.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |             |                                                         |              |
| निर्णय:-    | <p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूमि को पूर्व अनुमोदित योजना से 40 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है जिसकी सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जाएँ।</li> <li>2. भूखण्ड संख्या 16-19 के सामने प्रस्तावित सड़क का मार्गाधिकार 40' रखा जा कर संशोधित मानचित्र प्राप्त किया जावे।</li> <li>3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विकय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।</li> <li>4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जाएँ।</li> </ol> |              |             |                                                         |              |

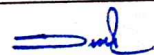
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। |
| 6. | प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।                                                                                                                                                                                |
| 7. | राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे।                                                                                                                                                                                    |

#### एजेण्डा संख्या 09 :-

| बैठक दिनांक | जोन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा                               | प्रयोजन      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------------------------|--------------|
| 27.02.2023  | जोन-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | वासनी वैन्दा | 54/1/3      | 07.10.00 बीघा में से 06.01.10 बीघा | आवासीय योजना |
| आवेदक       | मैसर्स सिल्वर लाईन विल्डहोम प्रा.लि जरिये श्री हर्षवर्धनसिंह पुत्र श्री करणसिंह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |             |                                    |              |
| विषय:-      | राजस्व ग्राम वासनी वैन्दा के खसरा संख्या 54/1/3 रकबा 07.10.00 बीघा में से 06.01.10 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |             |                                    |              |
| निर्णय:-    | समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि विकासकर्ता द्वारा उनके स्वामित्व की भूमि, जोजरी नदी के सहारे जोनल डवलपमेंट प्लान में प्रस्तावित सड़क एवं वृक्षारोपण पट्टी एवं त्रिभुजाकार भू-पट्टी को योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है, जबकि नियोजन की दृष्टि से उक्त क्षेत्र को भी योजना में सम्मिलित किया जाना अपेक्षित था।<br>विचार विमर्श उपरान्त योजना से लगती हुयी प्रार्थी की भूमि यथा जोजरी नदी के सहारे जोनल डवलपमेंट में प्रस्तावित सड़क एवं वृक्षारोपण पट्टी तथा त्रिभुजाकार भू-पट्टी की भूमि को आवेदित भूमि में सम्मिलित करते हुए प्रार्थी से संशोधित आवेदन जोन स्तर पर प्राप्त कर तदानुसार 90-क के संशोधित आदेश उपरान्त नवीन योजना मानचित्र प्राप्त कर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। |              |             |                                    |              |

#### एजेण्डा संख्या 10 :-

| बैठक दिनांक | जोन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा          | प्रयोजन                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------|
| 27.02.2023  | जोन-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | डांगियावास   | 261/5       | 04.00.00 बीघा | नॉन पाल्यूटेड हैण्डिकाप्ट इण्डस्ट्रीज एकल भूखण्ड |
| आवेदक       | श्री प्रहलाद पुत्र श्री छीत्तर जी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |             |               |                                                  |
| विषय:-      | राजस्व ग्राम डांगियावास के खसरा संख्या 261/5 रकबा 04.00.00 बीघा में नॉन पाल्यूटेड हैण्डिकाप्ट इण्डस्ट्रीज एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |             |               |                                                  |
| निर्णय:-    | समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-<br>1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की चौड़ाई मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 60 मीटर रखे जाने हेतु सड़क मध्य से 30 मीटर भूमि प्रार्थी की भूमि में से सड़क मार्गाधिकार हेतु आरक्षित रखी जावे। सड़क मार्गाधिकार के पश्चात् 30 मीटर गहराई की वृक्षारोपण पट्टी रखी जावे।<br>2. प्रार्थी द्वारा मिश्रित भू-उपयोग में नॉनपॉल्यूटिंग हैण्डिकाप्ट इण्डस्ट्रीज प्रयोजनार्थ आवेदन किया गया है। अतः आस-पास भविष्य में होने वाले विकास के दृष्टिगत सुरक्षा हेतु प्रार्थी की भूमि में न्यूनतम 9 मीटर का सुरक्षा बफर सैटबैक के रूप में रखा जाना सुनिश्चित किया जावे। |              |             |               |                                                  |



# PROPOSED LAY OUT PLAN ON KHASRA NO. 347/2, OF VILLAGE BANAR AT JODHPUR

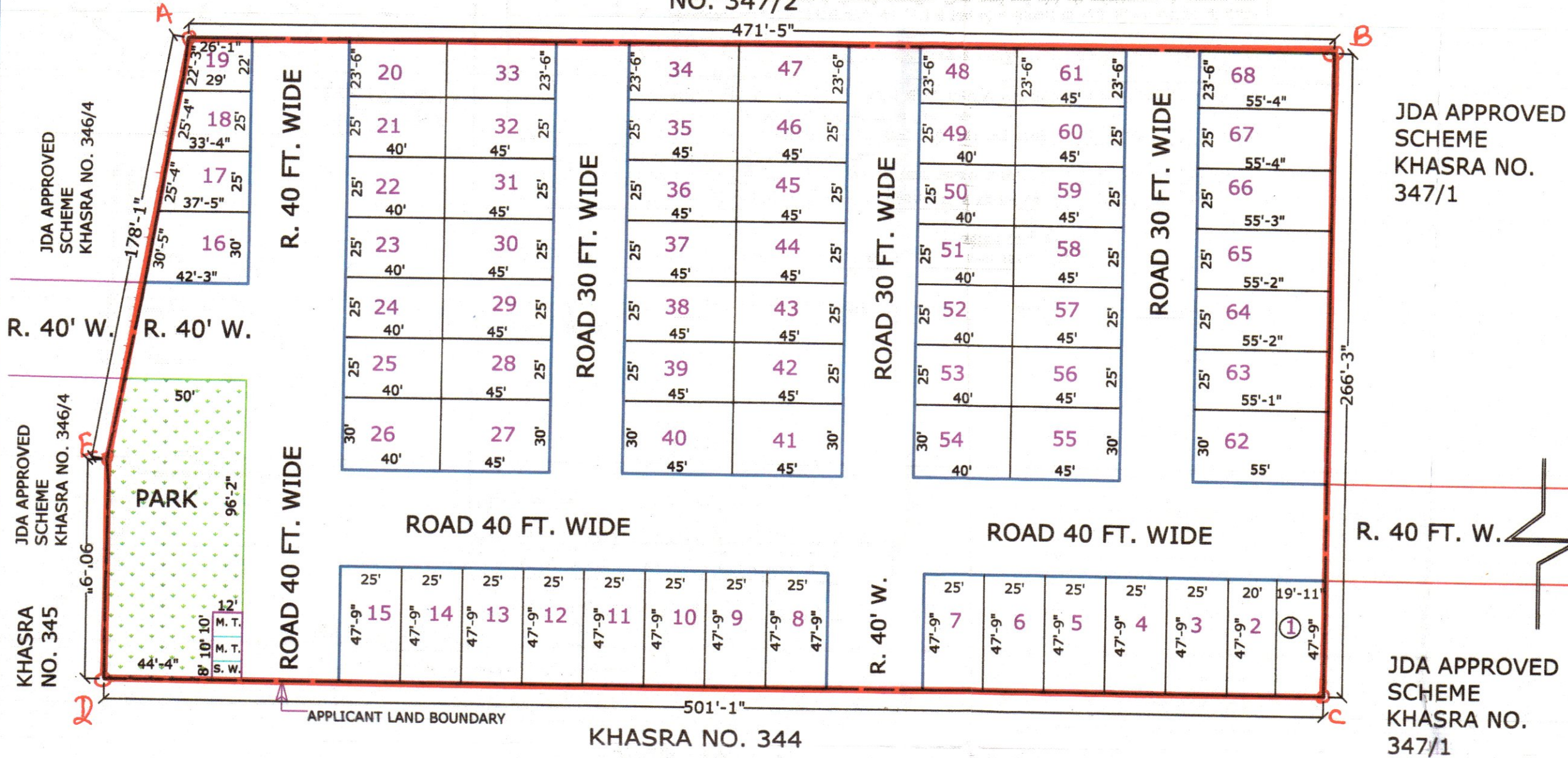
## LAND USES ANALYSIS

| PLOTS                              | AREA in Sq.yd. | AREA OF % |
|------------------------------------|----------------|-----------|
| TOTAL PLOT AREA                    | 8570.44        | 59.02 %   |
| PARK AREA                          | 727.39         | 05.01 %   |
| M.T./S.W.D. AREA                   | 37.33          | 00.26 %   |
| ROAD AREA                          | 5184.58        | 35.71 %   |
| TOTAL SCHEME AREA                  | 14519.74       | 100.00 %  |
| Area in Bigha = 7 Bigha, 10 Bishwa |                |           |



SCALE:-1"=50'

PART OF KHASRA  
NO. 347/2

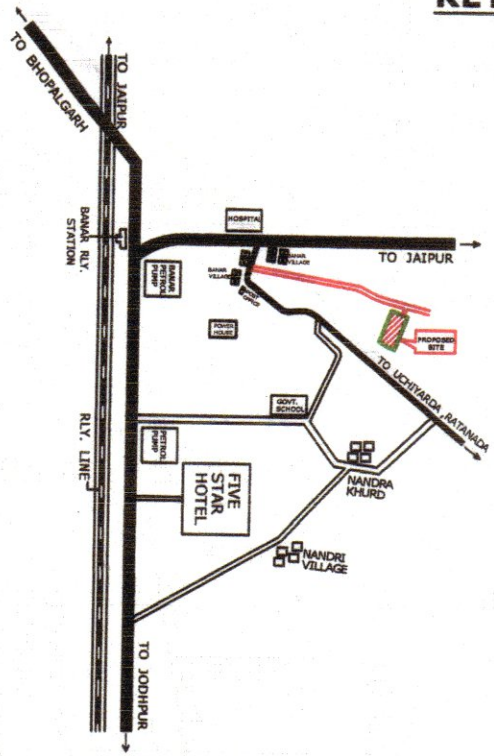


ROAD 100 FT. WIDE

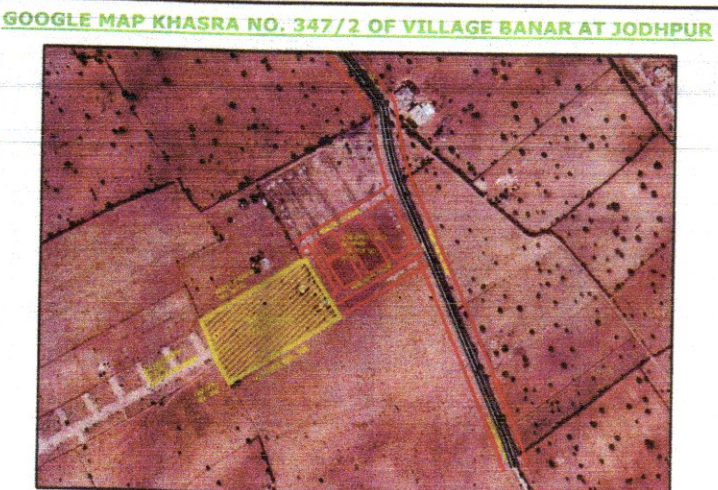
TO BANAR -->>

<<-- TO JALELI FOJDARA

## KEY-PLAN



## KHASRA MAP NOT TO SCALE



दिनांक 13.12.22 को सुपरइमोजन  
प्लान से प्रस्तुत प्लान की सीमाओं का  
मिलान कर लाल रंग की से मार्क A से E  
किया गया।

2-03-23  
व्यापक सहित राजपुरोहित  
निरीक्षक (भू.अ.)  
जोधपुर विकास प्राधिकरण

JDA/Dir(P)/Zone-1/06  
05/04/2023

एजेण्डा संख्या 08 :-

| बैठक दिनांक | जोन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा                                             | प्रयोजन      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------|--------------|
| 27.02.2023  | जोन-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | बनाड         | 347 / 2     | रकबा 15.00.00 बीघा,<br>आवेदित रकबा 07.10.00 बीघा | आवासीय योजना |
| आवेदक       | श्री मंवरलाल, श्री राजाराम, श्री मुन्नाराम, श्री तेजाराम, पि. श्री बुद्धाराम एवं श्रीमती चुकीदेवी बेवा बुद्धाराम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |             |                                                  |              |
| विषय-       | राजस्व ग्राम बनाड के खसरा संख्या 347 / 2 रकबा रकबा 15.00.00 बीघा, आवेदित रकबा 07.10.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |             |                                                  |              |
| निर्णय-     | समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |             |                                                  |              |
|             | <ol style="list-style-type: none"><li>1. आवेदित भूमि को पूर्व अनुमोदित योजना से 40 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है जिसकी सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।</li><li>2. भूखण्ड संख्या 16-19 के सामने प्रस्तावित सड़क का मार्गाधिकार 40' रखा जा कर संशोधित मानचित्र प्राप्त किया जावे।</li><li>3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विकस्य योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।</li><li>4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे।</li><li>5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाधि, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रसंगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</li><li>6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</li><li>7. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे।</li></ol> |              |             |                                                  |              |

Cd

सहायक नगर निवाहक  
जोधपुर विकास प्राधिकरण  
जोधपुर

जोधपुर विकास प्राधिकरण  
जोधपुर

व्यापक (जोन-1)  
जोधपुर विकास प्राधिकरण  
जोधपुर

(मंवरलाल)

(शाराराम)

(मुन्नाराम)

(तेजाराम)

(चुकी)